

मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

भाग 1

1. मृतक/घायल का नाम
2. उम्र
3. मृतक/घायल होने का कारण
4. मृत्यु/घायल होने की तिथि
5. आवासीय पता

6. परिवार के सदस्यों का विवरण

| क्र. सं. | नाम | उम्र | संबंध | व्यवसाय |
|----------|-----|------|-------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

7. सहायता के लिये आवेदन करने वाले का नाम

8. पता

9. मृतक/घायल से संबंध

10. क्या मृतक/घायल राज्य कर्मचारी था/है हाँ/नहीं

11. यदि मृतक/घायल राज्य कर्मचारी था, यदि हाँ तो बीमा/ग्रेच्युटी आदि का भुगतान हुआ है
हाँ/नहीं

12. यदि भुगतान हुआ है तो कितना (राशि रूपों में) रूपये

13. क्या मृतक/घायल के परिवार के पास कृषि भूमि है हाँ/नहीं

14. यदि हाँ तो विवरण दे चाही
बारानी
अन्य
15. मृतक/घायल के परिवार के पास मकान की स्थिति कच्चा/पक्का
16. क्या पूर्व में इस संबंध में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त की है हाँ/नही
17. यदि हाँ तो कितनी (राशि रूपयों में) रूपये

संलग्नक :

1. एफ.आई.आर. की प्रति
2. पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी की गई चोट प्रतिवेदन की प्रति

हस्ताक्षर आवेदक

भाग 2

जांच अधिकारी तहसीलदार

की रिपोर्ट

1. आवेदन पत्रों में अंकित तथ्यों की पुष्टि की जाती है हाँ/नही
2. क्या आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है हाँ/नही
3. क्या सहायता दिया जाना औचित्य पूर्ण है हाँ/नही

हस्ताक्षर तहसीलदार

भाग 3

1. तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर प्रकरण मुख्यमंत्री सचिवालय राज. जयपुर को भिजवा दिया जावे हाँ/नही
2. तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर तत्काल सहायता राशि रूपये स्वीकृत कर दिये जाये हाँ/नही

हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
सहायता शाखा